कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल।

पत्रांक 656 /डूडा/ई–टेण्डर/2018–19 दिनांकः 30/8/2018

ई–निविदा सूचना

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल के वर्ष 2018–19 में श्रेणी ए० बी० सी० में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यों की ई–निविदाऐं दिनांक 20.09.2018 की सांय 05:00 बजे तक पोर्टल https://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 03.09.2018 को 12:00 बजे से https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। निविदाओं की तकनीकी एवं वित्तीय बिड दिनांक 21.09.2018 को समय 11:00 बजे से जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल की निविदा समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष आनलाईन खोली जायेंगी। जमानत की धनराशि बैंक की सावधी जमा (एफ०डी०आर/एन०एस०सी०) तथा निविदा प्रपत्र मूल्य (मय जी०एस०टी०) का बैंक ड्राफ्ट जो परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल के पक्ष में बन्धक हो, की स्कैन प्रतियां निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी तथा मूल प्रतियां डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) कार्यालय में उपलब्ध करानी होंगी। प्रत्येक निविदादाता द्वारा अंकन 100.00 रू० के स्टाम्प पर शपथ पत्र (भू–माफिया गतिविधियों में शामिल न होने सम्बन्धी) निर्धारित प्रारूप पर कार्यवार ऑनलाईन स्कैन करते हुए निविदा में लगाया जायेगा। निविदा सम्बन्धी समस्त विवरण, अभिलेखों एवं नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में एवं जनपद सम्भल की website:- http://sambhal.nic.in तथा https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

क्र.	परियोजना का विवरण	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम	अनुमानित लागत	जमानत राशि	निविदा मूल्य (मय जी०एस०टी०)	कार्य पूर्ण की अवधि
1	वार्ड सं० 09 के मौ० हाथी खाना में ट्रांसफार्मर से गायत्री के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पंचायत नरौली	859711.50	17200.00	766.00	दो माह
2	वार्ड सं० 05 में चैयरमेन के मकान से मैन रोड तक इण्टरलाकिग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पंचायत सिरसी	1151812.40	23100.00	766.00	दो माह
3	वार्ड सं० 32 में तेजराम की कोठी के सामने नूरी कोल्ड स्टोर से कब्रिस्तान के गेट तक (पीला खदाना सरायतरीन) पोल नं० 10 तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् सम्भल	1699241.10	34000.00	854.00	दो माह
4	वार्ड सं० 12 के अन्तर्गत मौ० कृष्णा कुंज में मैंन रोड से मन्दिर तक इण्टरलाकिग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् बहजोई	2000594.00	40200.00	854.00	दो माह
5	वार्ड सं० 09 के अन्तर्गत मौ हाथी खाना में राजेन्द्र शर्मा के मकान चामुण्डा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पंचायत नरौली	858108.40	17200.00	766.00	दो माह
6	वार्ड सं० 13 में बाबूराम इण्टर कालेज से पूरन नाथ जी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् चन्दौसी	847985.75	17000.00	766.00	दो माह
7	वार्ड सं० 12 के अन्तर्गत मौ० कृष्णा कुंज अस्पताल से इर्न्वटर वाले की दुकान तक इण्टरलाकिग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् बहजोई	977786.80	19600.00	766.00	दो माह
8	वार्ड सं० 13 में मुनीश के मकान से रज्जन प्रजापति के मकान तक सी०सी० इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् चन्दौसी	880027.20	17700.00	766.00	दो माह
9	वार्ड सं० 02 जे०के० इण्टर कालेज के गेट से गवां–अनूपशहर मार्ग तक सी०सी० इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पंचायत गवां	974356.40	19500.00	766.00	दो माह
10	वार्ड सं० 01 में पानी की टंकी से गंदनलाल की दुकान तक सी०सी०/इण्टरलाकिंग टाईलस मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पंचायत गवां	1299826.95	26000.00	766.00	दो माह
11	वार्ड सं० 04 के मौ० हनुमानगढ़ी में इन्द्रजीत के मकान से अशोक पाली के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् चन्दौसी	829921.00	16600.00	766.00	दो माह

12	वार्ड सं0 13 मुकेश ठाकुर के मकान से राम अवतार के मकान तक एवं शेषनाथ के मकान से गोपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् चन्दौसी	544392.05	10900.00	766.00	दो माह
13	वार्ड सं0 06 के मौ0 नयाबजार नई बस्ती में मदीना के मकान से वीरेन्द्र सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् बहजोई	562304.20	11300.00	766.00	दो माह
14	वार्ड सं0 06 के मौ0 नयाबजार नई बस्ती में तरवीर के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् बहजोई	546817.05	11000.00	766.00	दो माह
15	वार्ड सं0 03 में चौपाल के मकान से अमरीश के मकान तक एवं भजन लाल के मकान से राकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पंचायत गुन्नौर	644695.95	12900.00	766.00	दो माह
16	वार्ड सं0 13 के अन्तर्गत मौ0 वैष्णों में प्रताप सैनी के मकान से संतोष के मकान तक सी0सी इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् चन्दौसी	614146.30	12300.00	766.00	दो माह
17	वार्ड सं0 12 के अन्तर्गत मौ0 बिसौली गेट शक्कोवाली गली छोटे लाल की चक्की से नवल मन्दिर तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर पालिका परिषद् चन्दौसी	523055.90	10500.00	766.00	.दो माह

परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
जनपद–सम्भल।

परियोजना निदेशक
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
जनपद–सम्भल।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ/अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

01– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

02– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त ई–निविदा (शर्तों सहित) सूचना को बेवसाईट http://sambhal.nic.in पर डालने का कष्ट करें।

03– निविदा समिति, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल।

04– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, सम्भल को सूचनार्थ।

05– समस्त पंजीकृत, ठेकेदार, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल को ऑनलाइन पोर्टल https://etender.up.nic.in एवं http://sambhal.nic.in तथा समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी ई–निविदा सूचना के माध्यम से सूचनार्थ।

06– विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला/दैनिक जागरण, जनपद सम्भल को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र में आगामी अंक में न्यूनतम स्थान में लघुतम अक्षरों में एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित करा कर डी0ए0वी0पी0 पत्र अथवा जिला सूचना अधिकारी, सम्भल बिल सत्यापित कराकर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

परियोजना निदेशक
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
जनपद–सम्भल।

कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिरण, (डूडा), सम्भल।

::निर्माण कार्यों की शर्तें::

1– निविदादाता, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल में श्रेणी ए0 बी0 सी0 में पंजीकृत ठेकेदार ही होगा, उस पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल द्वारा जारी ठेकेदारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा तथा निविदाऐं ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही डाउनलोड व अपलोड की जायेगी तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2– निविदादाता प्रपत्र ई–टैण्डरिंग पोर्टल https://etender.up.nic.in से डाउनलोड व अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा सम्बन्धी जानकारी http://sambhal.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

3– निर्धारित निविदा मूल्य (वैट सहित) का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल के नाम से हो) देय होगा एवं ड्राफ्ट के पीछे न्यूनतम अक्षरों में ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित करना होगा।

4– निविदा से सम्बन्धित मूल अभिलेख वित्तीय बिड खोलने के बाद कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसा न करने की दशा में ठेकेदार/फर्म निविदा निरस्त कर उसे काली सूचना में डाल दिया जायेगा।

5– सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

6– बिना जमानत धनराशि एवं निविदा मूल्य के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

7– ई–टेण्डरिंग के सम्बन्ध में शासन से यदि किसी भी प्रकार के निर्णय लिये जाते हैं, तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशें एवं दिशा–निर्देशें का अनुपालन ठेकेदार/फर्म को मान्य होंगे।

8– निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन के लिए होगी।

9– आवश्यकतानुसार तकनीकी की कोई भी मद किसी भी सीमा तक घटाई–बढ़ाई जा सकती है जो ठेकेदार/फर्म को अपनी टेण्डर की दर से ही करना होगा। यदि कोई नई मद का कार्य करना आवश्यक हुआ तो ठेकेदार को शिड्यूल दर पर कराना होगा।

10– टेण्डर स्वीकृत करने वाले अधिकारी को समस्त/आंशिक टेण्डर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

11– टेन्डर स्वीकृत होने पर एग्रीमेन्ट के समय फर्म/ठेकेदारों को 5% जमानत पूरी करनी होगी तथा शेष 5% बिल से कटेगी।

12– भुगतान से सम्बन्धित प्रत्येक विवाद का निपटारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी/अध्यक्ष के आदेश अन्तिम एवं उभय पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

13– जमानत वापसी के लिए शासन के दिशा निर्देश मान्य है।

14– साधारण, बोल्डर, बालू मौरंग आदि की आपूर्ति कार्य में नियमानुसार रॉयल्टी की धनराशि जमा करनी होगी।

15– आयकर/जी0एस0टी0/श्रम एवं रॉयल्टी की कटौती नियमानुसार ठेकेदार/फर्म के प्रत्येक बिल से की जायेगी।

16– जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल की समस्त ठेके की शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा।

निरन्तर 02 पर ➡

कार्य आदेश प्राप्त होते ही ठेकेदार/फर्म को तुरन्त श्रम विभाग से श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

18– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति तक के प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ दो–दो प्रतियों में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ठेंकेदार/फर्म की होगी, ऐसा न करने पर ठेकेदार/फर्म का भुगतान रोक दिया जायेगा।

19– किसी भी ठेकेदार/फर्म को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्हथा या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण के पूर्व कारण बताओं नोटिस इस कार्यालय द्वारा जारी की जायेगी।

20– समयवृद्धि मांगे जाने का वही ई–पंजीकृत ठेकेदार/फर्म हकदार होगा जिसे कतिपय कठिनाई और निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण कर दिया है अन्यथा की दशा में ठेकेदार/फर्म अर्थ दण्ड का भागीदार होगा।

21– ठेकेदार/फर्म को टेण्डर डालते समय हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल का पंजीकरण प्रमाण पत्र, जमानत का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 एवं निविदा प्रपत्र (मय जी0एस0टी0) मूल्य का ड्राफ्ट की छायाप्रति अपलोड करते हुए डी0डी0 एवं बैंक एफ0डी0आर0 मूल रूप में एवं अन्य अभिलेखों की छायाप्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करानी होंगी।

22– निर्माण कार्यों पर लगने वाले जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार देय होगी।

23– उपरोक्त समस्त शर्तों में समय–समय पर बदलाव किया जा सकता है जो ठेकेदार/फर्म को मान्य होगा। उपरोक्त शर्तों सम्बन्धी जानकारी ठेकेदार/फर्म को करनी हो तो कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सम्भल (निकट विकास खण्ड परिसर पंवासा)से प्राप्त कर सकता है।

30/8/18

परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
(डूडा),सम्भल।

परियोजना निदेशक
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
(डूडा),सम्भल।